

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/22/2018-अ.भा.से.-(I)

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक: 04 अक्टूबर, 2018

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा डॉ. बसवराजू एस., आई.ए.एस. (छत्तीसगढ़:2007) को वैयक्तिक आधार पर छत्तीसगढ़ संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली।